

# न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 25/2021

प्रार्थी : -

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति राजपूत निवारी सनवाडा (आर) तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज  
अधिनियम, 1994


उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरौही प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।



निर्णय

दिनांक 07.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 80 दिनांक 25.11.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।



प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरौही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि विरुद्ध पारित बुक संख्या 123 पट्टा संख्या 80 दिनांक 25.11.2007 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के ग्राम सनवाडा आर में पैतृक मकान उपलब्ध है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है पट्टा जारी करने से ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 144 से 160 की पालना नहीं की है तथा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टे को विधि विरुद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको  अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो का जवाब देने का  नन्द

जिला कलेक्टर, सिरौही


किया जाता है एवं न ही अप्रार्थी संख्या एक व दो बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैने प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया। संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभौति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार—

**भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन—** (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23-ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है, अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत सनवाडा आर में पैतृक मकान उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जाना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 144 से 160 की पालना नहीं करते हुए नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी उक्त विवादित पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि नियम के तहत पट्टे पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी पदेन सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 25.11.2007 को जारी किया गया है। चूंकि दिनांक 25.11.2007 को रविवार था, जबकि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा दिनांक 25.11.2007 को बैठक होना दर्शाते हुए उक्त दिनांक को पट्टा जारी किया है, जो पट्टे जारी करने की कार्यवाही पर संदेह पैदा करता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 80 दिनांक 25.11.2007 बुक संख्या 123 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरोही